न्यायालय लैण्ड रेकार्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 145/2017
दायर दिनांक – 13/10/2017
निर्णय दिनांक – 30/01/2018

अनवान

1. माधुलाल पिता हरलाल जाट, निवासी आंजणा, तह0– रेलमगरा

प्रार्थी

बनाम

1. शंकरलाल पिता रतनलाल जाट, निवासी आंजणा, तह0– रेलमगरा
2. किशनलाल पिता घासी जाट, निवासी आंजणा, तह0– रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 1435/649 रकबा 6 बीघा 04 बिस्वा ग्राम आंजणा पटवार मण्डल गवारडी तहसील क्षेत्र रेलमगरा में स्थित है। प्राथ्री आराजी संख्या 1435/649 के दक्षिण दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 650 रकबा 9 बिघा 04 बिस्वा स्थित है जो खाते में लेहरू पिता उदयराम जाट निवासी आंजणा के नाम पर है किन्तु खातेदार लेहरू का स्वर्गवास दिनांक 02/09/2017 को हो गया व उसके कोई जायन्दा औलाद या पत्नि या माता पिता नहीं है उसके वारिस में उसका काका विपक्षी संख्या 2 किशनलाल व दुसरे काका स्व. रतन का लडका विपक्षी संख्या 1 शंकललाल है जिससे विपक्षी संख्या 1 व 2 को इस मामले में इन्हें पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात 1435/645 व विपक्षीगण होने से बार बार सीमा बाबत् विवाद होता रहता है व भविष्य में विवाद होने की सम्भावना है। तथा स्थाई सीमांकन चिन्ह नहीं होने से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी की दक्षिणी सीमा पर स्थाई रूप से विवाद को समाप्त करने के लिए प्रार्थी व विपक्षीगण की उक्त आराजीयात के सीमाओं के बीच स्थाई सीमांकन चिन्ह हेतु पत्थरगढी कराना आवश्यक है। इस हेतु पत्थरगढी करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी ने दिनांक 10/7/2017 को प्रार्थी व विपक्षीगण की उक्त आराजीयात की सीमा की जानकारी करवाई जिसका पटवारी हल्का ने मौके पर पहुंचकर पर्चा मौका तैयार किया। जिसकी प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है। सीमा जानकारी के बाद भी विपक्षीगण मौके पर सीमा बाबत् विवाद कर रहे है। व स्थाई सीमांकन चिन्ह हेतु पत्थरगढी हो जाने पर भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं रहेगा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

व मुकदमें बाजी बढने की कोई सम्भावना नहीं रहेगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हेतु जब जब सीमा बाबत् विपक्षीगण ने विवाद करना चाहा व प्रार्थी ने सीमा जानकारी करवाई इसके बाद आज से करीबन 1 माह पूर्व से प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को प्रार्थी व विपक्षीगण की आराजीयात के बीच पत्थरगढी करवाने हेतु कहने पर नहीं मानकर इन्कार करते हुए सीमा बाबत् विवाद कर रहे है। तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के आराजी संख्या 1435/649 व विपक्षीगण की आराजी संख्या 650 की सीमाओं के बीच स्थाई सीमांकन चिन्ह हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार को नियत करने का आदेश प्रदान कराया जावें। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी अदा करने को तैयार है। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी एवं पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाकंन कराये जाने हक अधिकार निहीत है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम आंजणा में स्थित प्रार्थी के आराजी संख्या 1435/649 व विपक्षीगण की आराजी संख्या 650 की सीमाओं के बीच स्थाई सीमांकन चिन्ह हेतु पत्थरगढी कराये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार रेलमगरा पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी करा पालना से अवगत करावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
लैण्ड रेकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा